File No. 398/4/6/2022

21.07.2023

आवेदक बंदीगण के द्वारा मंडल कारा आरा में लिपिक सत्येन्द्र पांडे के द्वारा किए जा रहे कथित जुल्म की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्पेशल टीम बनवाकर जाँच किए जाने के अनुरोध के साथ आवेदन दाखिल किया है।

दिनांक 25.01.2022 के आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, भोजपुर का प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जेल गेट तथा अन्य जगह पर लगे सी.सी.टी.वी. का हार्ड डिस्क खराब होने की वजह से रिकॉर्डिंग देख पाना संभव नहीं हुआ। तत्पश्चात बड़ा बाबु सत्येन्द्र पांडेय एवं जेल प्रशासन पर लगाए गये आरोप पर आरा मंडल कारा में विचाराधीन एवं सजायाफता कैदियों का लिखित बयान लिया गया जिसपर किसी भी कैदी द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दी गयी, जिससे प्रतीत होता है कि बंदियों द्वारा लगाये गय आरोप आधारहीन है।

उपरोक्त प्रतिवेदन से हालांकि आवेदन में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं होती है परंतु यह देखा जा रहा है कि जब भी जेल की जाँच करवाई जाती है तो सी.सी.टी.वी. बंद पाया जा रहा है। अतः आवेदन में लगाए गए आरोप पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करते हुए महानिरीक्षक कारा एवं सुधार सेवाएँ को बिहार के विभिन्न जेलों में सी.सी.टी.वी. कार्यरत रहना तथा उनके footage को एक महीने तक सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित किये की अनुशंसा के साथ अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था।

दिनांक 07.11.2022 के आदेश के आलोक में सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र) बिहार, पटना का प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार :–

1. विभागीय पत्रांक 414 दिनांक 13.01.2023 द्वारा राज्य की काराओं में अधिष्ठापित सी.सी. टी.वी. कैमरों को कार्यशील रखने हेतु आवश्यकतानुसार सी.सी.टी.वी. कैमरों की मरम्मति कारा स्तर पर उचित मद से सभी वित्तीय प्रावधानों का पालन करते हुए करने हेतु सभी अधीक्षकों को निदेशित किया गया है।
2. विभागीय पत्रांक 741 दिनांक 24.01.2023 द्वारा राज्य स्कीम वित्तीय वर्ष 2022–23 के अंतर्गत राज्य की सभी काराओं में नये से 9916 सी.सी.टी.वी. कैमरों के अधिष्ठापन हेतु समेकित रूप से 17,55,13,200 (सत्रह करोड़ पचपन लाख तेरह हजार दो सौ रूपये

मात्र) की लागत पर स्कील की कारावार/योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए सभी अधीक्षकों को स्कीम को निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया है।

3. विभागीय पत्रांक 5087 दिनांक 19.06.2023 द्वारा सभी अधीक्षकों को राज्य की काराओं में अधिष्ठापित सी.सी.टी.वी. कैमरों के रिकार्डिंग को कम से कम छः माह तक संरक्षित (Preserve) रखने हेतु निदेशित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से आयोग संतुष्ट होते हुए इस वाद में आगे की कार्रवाई बंद करते हुए इसे संचिकास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र) बिहार, पटना एवं आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निदेश दिया जाता है।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य